रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/92 REGISTERED NO. DL-33001/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 21, 1992/कार्तिक 30, 1914
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 21, 1992/KARTIKA 30, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खंड 3—उप-खंड(i)
PART II—Section 3—Sub-section(i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

योजना मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1992

सा.का.नि. 510.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (पुस्तकालय) भर्ती नियम, 1986 को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है योजना आयोग में ज्येष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना आयोग, ज्येष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक भर्ती नियम, 1992 है।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.--उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.--उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 15 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.--वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The Crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange asked to submit the name.	ITI Trade Certificate from a recognised institution or equivalent with 3 years experience in electrical works in an industrial Establishment or in a reputed factory/workshop. Note : Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates belong to ST/SC if at any stage of selection tne Competent Authority is of the opnion that sufficient number of these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. (2) Qualification(s) is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.	No	2 years

(11)	(12)	(13)	(14)
By promotion failing which by direct recruitment.	Electrician Grade I with 3 years Service in the grade after appointment thereto on regular basis.	Workcharged Posts Departmental Promotion Committee for Promotion/Confirmation : (1) Deputy Chief Engineer-I —Chairman (2) Executive Engineer (Mech) —Memter (3) Administrative Officer —Member (4) One Officer to be nominated from outside the Department —Member	Not applicable."

[F No. ALHW/ADM/1(9)/91]
RASHMI S. SAHNI, Under Secy.

FOOT NOTE : The Principal Recruitment Rules were published vide GSR 521 dated 16-5-86.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1992

सा. का. नि. 519.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात्:—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1992 है।

(ii) यह 1 जून 1986 से प्रभावी समझे जाएंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1979 की अनुसूची में:—

(क) क्रम संख्यांक 1 के सामने इंजीनियरी सहायक के पद से संबंधित स्तम्भ 5 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

1400-40-1600-50-2300 द.रो. 60-2600 रु.

(ख) क्रम संख्यांक 2 के सामने मास्ट तकनीशियन के पद से संबंधित स्तम्भ 5 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1320-30-1560-द.रो.-40-2040 रु."

(ग) क्रम संख्यांक 3 के सामने तकनीशियन के पद से संबंधित स्तम्भ 5 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:—

1200-30-1440- द.रो. 30-1800 रु.

स्पष्टीकरण ज्ञापन

अधीनस्थ विधायन समिति (दसवीं लोक सभा) ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में यह संप्रेक्षण किया था कि इंजीनियरी सहायक, मास्ट तकनीशियन और तकनीशियन के पद के लिए भर्ती नियमों में चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए उनके पदों के पुनरीक्षित वेतनमान नहीं दिए गए हैं। वास्तविक व्यवहार में इन पदों पर कार्य कर रहे पदधारी जनवरी, 1986 से पुनरीक्षित वेतनमान ले रहे। इस परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए आकाशवाणी (समूह "ग" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1991 में पुनरीक्षित वेतनमान सम्मिलित कर दिए गए थे। तथापि अनवधानता से वे इस प्रकार अधिसूचित किए गए थे कि वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे चूंकि उक्त अधिसूचना वास्तविक तथ्य चित्रित नहीं होते थे इसलिए यह महसूस किया गया कि यह संशोधन जारी करके गलती को सुधारा जाए।

[संख्या 310/46/89—बी (डी)]

मोहन फ्रांसिस, अवर सचिव

टिप्पणी:—

प्रमुख नियमों को 2 जून, 1979 की सा. का. नि. 762 द्वारा अधिसूचित किया गया था और क्रमश; निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया।

1. अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 150 दिनांक 7-2-1981
2. अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 605 दिनांक 22-6-1985
3. अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 727 दिनांक 6-9-1986
4. अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 302 दिनांक 25-4-1987
5. अधिसूचना संख्या 3/45/88--एस. चार. (ए) बी (डी) दिनांक 22-6-1989
6. अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 119 24-2-1990
7. अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 213 दिनांक 7-4-1990
8. अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 342 दिनांक 1-6-1991

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 19th October, 1992

G.S.R. 519.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group C' Posts) Recruitment Rules, 1979, namely :—

1. (i) These rules may be called the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1992.

(ii) They shall be deemed to have come into force on 1st day of June, 1986.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1979.

(a) against Sl. No. 1 relating to the post of Engineering Assistant, in column 5, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600";

(b) against Sl. No. 2 relating to the post of Mast Technician, in column 5, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 1320-30-1560-EB-40-2040";

(c) against Sl. No. 3 relating to the post of Technician, in column 5, for the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 1200-30-1440-EB-30-1800."

Explanatory Memorandum

It was observed by the Committee on Subordinate Legislation (Tenth Lok Sabha) in its second report that the recruitment rules for the post of Engineering Assistant, Mast Technician and Technician did not carry the revised pay scales of their posts as recommended by the Fourth Central Pay Commission. In actual practice the incumbents working in these posts are drawing the revised pay scales with effect from 1st January, 1986. In order to effect this change, the revised pay scales were incorporated in the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1991. However, inadvertently, the same were notified to come into force on the date of publication in the Official Gazette. As the said notification did not depict the actual facts, so it has been felt to rectify the error by issuing this amendment.

[No. 310/46/89-B. (D)]

MOHAN FRANCIS, Under Secy.

TELE : 384892.

Foot Note :—Principal rules were notified by GSR 762, dated 2nd June, 1979 and subsequently amended by :—

1. Notification No. GSR 150, dated 7-2-1981.
2. Notification No. GSR 605, dated 22-6-1985.
3. Notification No. GSR 727, dated 6-9-1986.
4. Notification No. GSR 302, dated 25-4-1987.
5. Notification No. 3/45/88-SIV (A)/B (D), dated 22-6-1989.
6. Notification No. GSR 119, dated 24-2-1990.
7. Notification No. GSR 213, dated 7-4-1990.
8. Notification No. GSR 342, dated 1-6-1991.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992